न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–91/2023

जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2023/102

प्रार्थी

मोती लाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि. (पूर्व में एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) जिसका पंजीकृत कार्यालय मोती लाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी मुम्बई–400025 एवं शाखा कार्यालय–401–402, चतुर्थ तल, के.जे. सिटी टॉवर, प्लॉट नम्बर–ई–2, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी धीरेन्द्र रत्नावत।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. आनन्द प्रकाश पुत्र तारा चन्द खटीक, पता–गांधी चौक गर्वमेन्ट स्कूल के पास, कुचेरा रोड, मारवाड मुण्डवा, जिला नागौर, राजस्थान– 341026 । अन्य पता–पालडी जोधा रोड, वार्ड नम्बर–15 मारवाड मुण्डवा, जिला नागौर, राजस्थान।
2. श्रीमति द्रोपदी खटीक पत्नी आनन्द प्रकाश खटीक, पता–गांधी चौक गर्वमेन्ट स्कूल के पास, कुचेरा रोड, मारवाड मुण्डवा, नागौर, राजस्थान –341026।

आदेश **दिनांकः** 01-06-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर, वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये **रूपये 12,84,157/–(अक्षरे बारह लाख चौरासी हजार एक सौ सतावन रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 13.06.2017** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति–आनन्द प्रकाश खटीक पुत्र श्री ताराचन्द खटीक की अचल सम्पति जो कि एक आवासीय मकान, पालड़ी जोधा रोड वार्ड नम्बर–15, मारवाड़ मूण्डवा, जिला नागौर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 97 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमाये निम्न प्रकार है– उत्तर में– अमरचन्द का मकान, दक्षिण में– रामनिवास खटीक की जगह, पूर्व में– ओम प्रकाश खटीक का मकान व गली, पश्चिम में– हरिराम मेघवाल है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 01.01.2023 को एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व उक्त ऋण के संबंध मे अप्रार्थी/ऋणी में कुल **रूपये 9,74,468/–(अक्षरे नौ लाख चोहत्तर हजार चार सौ अडसठ रूपये मात्र) दिनांक 05.01.2023 तक शेष देय है एवं इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस **दिनांक 09.01.2023** प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि में **रूपये 9,74,468/–(अक्षरे नौ लाख चोहत्तर हजार चार सौ अडसठ रूपये मात्र) दिनांक 05.01.2023 तक शेष देय है एवं इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति– आनन्द प्रकाश खटीक पुत्र श्री ताराचन्द खटीक की अचल सम्पति जो कि एक आवासीय मकान, पालड़ी जोधा रोड वार्ड नम्बर–15, मारवाड़ मूण्डवा, जिला नागौर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 97 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमाये निम्न प्रकार है– उत्तर में– अमरचन्द का मकान, दक्षिण में– रामनिवास खटीक की जगह, पूर्व में– ओम प्रकाश खटीक का मकान व गली, पश्चिम में– हरिराम मेघवाल है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **12,84,157/–(अक्षरे बारह लाख चौरासी हजार एक सौ सतावन रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 13.06.2017** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– आनन्द प्रकाश खटीक पुत्र श्री ताराचन्द खटीक की अचल सम्पति जो कि एक आवासीय मकान, पालड़ी जोधा रोड वार्ड नम्बर–15, मारवाड़ मूण्डवा, जिला नागौर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 97 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमाये निम्न प्रकार है– उत्तर में– अमरचन्द का मकान, दक्षिण में– रामनिवास खटीक की जगह, पूर्व में– ओम प्रकाश खटीक का मकान व गली, पश्चिम में– हरिराम मेघवाल है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट,
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)
जिला मजिस्ट्रेट नागौर